भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

स्थापना- सात

सेवा भवन, 5 वीं तल, कमरा न.528(उ.),
आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066

दिनांकः **मार्च** 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः भारत के विभिन्न भागों में स्थित के.ज.आ. के अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड–1 के पद को भरने के संबंध में।

निम्नलिखित योग्यता की शर्तों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/समावेशन के आधार पर भारत के विभिन्न भागों में स्थित के.ज.आ. के अधीनस्थ कार्यालयों में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (रू.35400–1,12,400/–) (6वें वेतन आयोग के अनुसार रू.9300–34800/–के पे बैंड और ग्रेड पे रू. 4200/–) में आशुलिपिक ग्रेड–1 के **11 (ग्यारह (संभावित)** पदों को भरने का प्रस्ताव हैः–

प्रतिनियुक्ति/समावेशन – केन्द्र सरकार के अधीन आशुलिपिक के पद पर कार्य कर रहे अधिकारीः

(i) मूल संवर्ग/अथवा विभाग में नियमित आधार पर इसके समकक्ष पद पर कार्य कर रहे हों; अथवा

(ii) सातवें वेतन आयोग के अनुसार (छठवें वेतन आयोग के अनुसार पी.बी.रू.5200–20200/– ग्रेड रू. 2400/– सहित) वेतन मैट्रिक्स (25,500–81,100) में लेवल 4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो।

1 फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति **हेतु** विचार **करने** के पात्र नहीं होंगे, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी प्रोन्नति पर नियुक्ति **हेतु** विचारण के पात्र नहीं होंगे।

2 इस कार्यालय अथवा सरकार के अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के पूर्ववर्ती कार्यालय में अन्य बाह्य संवर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

3 प्रतिनियुक्ति अथवा समावेशन आधार पर नियुक्ति के लिए एक अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पूर्व अथवा उस तारीख (वह तारीख जिससे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन मैट्रिक्स में अथवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान बढ़ाया गया है, मानी जाएगी जहां पर एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक ही वेतन में मिला दिए गए हों और जहां यह लाभ बिना किसी उन्नयन के सामान्य ग्रेड की जगह उस ग्रेड पे अथवा वेतनमान जिसके लिए केवल ऐसे पदो के लिए बढ़ाया जाएगा।

4. सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो कि एक वर्ष की अवधि

के भीतर सेवा निवृत होने वाले हैं या **रिज़र्व** में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिन्होने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या **विश्वविद्यालय** से कम से कम 12 वीं कक्षा तथा श्रुतलेखन 100 **शब्द** प्रति मिनट की दर पर और कम्पयुटर पर प्रतिलेखन 40 मिनट(अंग्रेजी) या 55 मिनट (हिन्दी) प्रति 10 मिनट का **कौशल** परीक्षण उर्तीण किया हो, **यदि** ऐसे अधिकारी का चयन हो जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें **सशस्त्र** बल से निर्मुक्त किया जाना है; **तत्पश्चात** उन्हें पुर्ननियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे पात्र अधिकारियों की **दशा** में, वास्तविक चयन से पहले जो सेवा निवृत हो चुके है या **रिज़र्व** में स्थानांतरित हो गए है उनकी पद पर नियुक्ति पुर्ननियोजन आधार पर की जाएगी।

5. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. चयनित कर्मचारियों का वेतनमान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के का.ज्ञा. सं. 2/29/91–स्था.पीसी(पे–II) और समय≤ पर यथा संशोधित के अनुसार विनियमित की जाएगी।
7. भारत सरकार द्वारा समय≤ पर जारी आदेशों/नियमों में निर्धारित अन्य शर्तें/निबंधन भी लागू होंगे।
8. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदन इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में निम्न सहित प्रस्तुत किया जाए:–
   (i) पूर्ण एपीएआर डोजियर।
   (ii) सतर्कता निकासी प्रमाण–पत्र।
   (iii) उन इच्छुक और योग्य अधिकारियों के संदर्भ में बड़ी/छोटी शास्ति, यदि लगाई गई हो और उसका सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र, जिनको उनके चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, रोजगार समाचार में इस परिपत्र/प्रकाशन के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस आयोग को अग्रेषित किया जाए।

9 निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त अथवा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

<u>संलग्नः प्रपत्र।</u>

Digitally Signed by Nisha Gupta
Date: 12-03-2025 16:49:35
Reason: Approved

(निशा गुप्ता)
अवर सचिव
दूरभाषः 011–29583287

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. के.ज.आ./नदी प्रबंध निदेशालय, के.ज.आ., वेस्ट ब्लाक–।, आर.के.पुरम, नई दिल्ली के सभी अधीनस्थ कार्यालय।
3. के.ज.आ. के सभी अनुभाग/इकाइयां।
4. निदेशक, एसएमडी, के.ज.आ. को इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अवर सचिव (स्था. I), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।
6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

भाग– I

जीवन–वृत्त प्रपत्र

1.	नाम	
2.	जन्मतिथि	
3.	सेवानिवृत्ति की तारीख	
4.	क्या केन्द्र सरकार या **राज्य सरकार** या सषस्त्र बल के कार्मिक हैं	
5.	यदि हां, धारित पद/पदों का ब्यौरा (क्रमिक रूप में)	

क.सं.	धारित पद	नियमित/तदर्थ	वेतनमान पे बैंड	ग्रेड पे	से	तक
(प)						
(पप)						

6.	शैक्षणिक **यौग्यता**	

क.सं.	बोर्ड का नाम	पास की गई परीक्षा	वर्ष	विषय मुख्य/अनिवार्य/ऐच्छिक
(प)				
(पप)				
(पपप)				
(पअ)				

7.	आशुलिपिक कार्य का अनुभव यदि कोई हो	
8.	क्या उक्त पद के लिए विनिर्धारित **यौग्यता** शर्तों को पूरा करते हैं	
9.	क्या अ.जा./अ.ज.जा. से संबंध रखते हैं	
10.	पत्राचार का पता और दूरभाष/मोबाइल संख्या	
11.	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो	

मैंने पद रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि मेरे द्वारा जीवनवृत्त के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की, इस पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी जांच की जाएगी।

दिनांक : **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

स्थान :

जारी....पृ.2/–

भाग–।।

(नियंत्रक अधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी...

पदनाम...

द्वारा भाग–। में दी गई जानकारी सही है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उसके विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामले न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।
3. चयन हो जाने की स्थिति में, उन्हें तत्काल अपने पद से कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे नई नियुक्ति पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।
4. उनकी गत 5 वर्ष की रिपोर्ट वाला एपीएआर डोजियर, कोई शास्ति नहीं विवरण और सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

(प्राधिकारी का नाम)

पदनाम :...
विभाग/मंत्रालय :...
कार्यालय मोहर ....
दूरभाष संख्या ....